

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०-2/सा०चि०पदा०-23/2024- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2025

डा० विकास चन्द्र चौधरी, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, बाढ़, पटना सम्प्रति चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अजगरा, पंडारक, पटना के द्वारा दिनांक-02.08.2021 से 09.12.2021 तक कुल-130 (एक सौ तीस) दिन उपभोगित चिकित्सीय अवकाश अवधि को बिहार सेवा सहिता के नियम-232, 234 एवं वित्त(वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक-256(25) दिनांक-04.02.2025 से प्राप्त अवकाश आदेयता प्रतिवेदन के आलोक में रूपान्तरित अवकाश (260 दिन के अर्द्धवैतनिक अवकाश के बदले) के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2 इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विद्यानन्द जमादार)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-2/सा०चि०पदा०-23/2024- 909(2) पटना, दिनांक 3/6/2025

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एव हक०) बिहार, दीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अजगरा, पंडारक, पटना /कोषागार पदाधिकारी, पटना/डा० विकास चन्द्र चौधरी, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, बाढ़, पटना सम्प्रति चिकित्सा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अजगरा, पंडारक, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।